To Increase the Powers of Sarpanch and Gram Panchayats

***47** **Sh. Nayan Pal Rawat (Prithla)**: Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state :-

a) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the powers of Sarpanch and Gram Panchayats; if so, the details thereof;

b) whether it is a fact that presently there is a provision for the Sarpanches and Panchayats to conduct five works upto Rs 5 lacs each i.e. Rs. 25 lacs yearly; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to permit the Panchayats for conducting the work up to Rs. 20 lacs togetherwith the details thereof; and

c) whether there is any proposal under consideration of the Government to change the tender process in Panchayats; if so, the details thereof ?

Sh. Devender Singh Babli **Development and Panchayats Minister**

a) to c) Gram Panchayats and Sarpanches have been entrusted certain responsibilities and powers under The Haryana Panchayati Raj Act, 1994 for effective conduct of the affairs of the Gram Sabha area. They enjoy full powers to consider and administratively approve any development work upto any limit which are to be implemented from the Gram Fund which consists of their own financial resources as well as Grants-in-aid given by State Government and Central Government. They are competent to implement works costing upto Rs. 5 lakh through tender or through departmental means. However, for development works costing more than Rs. 5 lakh, there is a provision of compulsory electronic tendering under The Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996. It has been decided that development works costing upto half of the total available Gram Fund minus Fixed Deposit Amounts, if any, during the financial year, can be taken up by the Gram Panchayat and Sarpanch through departmental mode. For execution of any other work, electronic tendering is compulsory.

There is no proposal under consideration of Government to change the process of execution of development works by Gram Panchayat.

सरपंचों तथा ग्राम पंचायतों की शक्तियां बढाने बारे

*47. **श्री नयन पाल रावत (पृथला):** क्या विकास एवं पंचायत मन्त्री यह बताएँगें किः–

क) क्या सरपंच तथा ग्राम पंचायतों की शक्तियां बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

ख) क्या यह तथ्य है कि वर्तमान में सरपंचों तथा पंचायतों को 5 लाख तक के पांच कार्य अर्थात् 25 लाख रूपये वार्षिक करने का प्रावधान है; यदि हां, तो क्या पंचायतों को 20 लाख रुपये तक के कार्य करवाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

ग) क्या पंचायतों में निविदा प्रक्रिया में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

देवेन्द्र सिंह बबली **विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा**

क) से ग) ग्राम सभा क्षेत्र के मामलों के प्रभावी संचालन के लिए ग्राम पंचायतों और सरपंचों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत कुछ जिम्मेदारियां और शक्तियां सौंपी गई हैं। उन्हें किसी भी सीमा तक के विकास कार्य पर विचार करने और प्रशासनिक रूप से मंजूरी देने की पूरी शक्ति प्राप्त है, जिसे ग्राम निधि से कार्यान्वित किया जाना है, जिसमें उनके स्वयं के वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान भी शामिल हैं। वे टैन्डर के माध्यम से या विभागीय माध्यम से 5 लाख रूपये तक की लागत के कार्यों को करवाने के लिए सक्षम हैं। हालांकि, 5 लाख रूपये से अधिक लागत वाले विकास कार्यों के लिए हरियाणा पचांयती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधाान तथा संकर्म नियम, 1996 के तहत अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक टैन्डर का प्रावधान है। यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध ग्राम निधि माइनस सावधि जमा राशि (एफ0डी0), यदि कोई हों, के आधे तक की लागत वाले विकास कार्यो को ग्राम पंचायत और सरपंच के द्वारा विभागीय माध्यम से करवाया जा सकता है। किसी भी अन्य कार्य को करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैन्डर अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।